भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०

डा०प्रभात कुमार, आई०ए०एस० (सेनि०)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त
भारत स्काउट और गाइड उ०प्र०

पत्रांक प्रा०मु०-12 / BSG / 2020
दिनांक 12.05.2020

समस्त जिला मुख्यायुक्त,
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड ।

कोविड–19 बीमारी की रोकथाम तथा फैलने से रोकने के लिये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं एवं पूरे भारत वर्ष में 03 बार लॉक डाउन किया गया है । उल्लेखनीय है कि लॉक डाउन 03 अभी प्रचलित है । जैसा कि आप अवगत हैं कि उपरोक्त बीमारी की रोकथाम एवं उसे कम्यूनिटी स्तर पर फैलने से बचाने के लिये जितने संसाधनों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति केवल शासन स्तर पर एवं सरकार के द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है । प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में निर्धन एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के पास इस बीमारी की रोकथाम हेतु विभिन्न उपाय करने के लिये भी संसाधन उपलब्ध होना कठिन है । इसके अतिरिक्त लॉक डाउन के चलते काफी बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से रोजगार बन्द हो जाने के कारण श्रमिकों का आगमन भी हुआ है जिनके पास तात्कालिक रूप से आय का कोई साधन उपलब्ध नहीं है । इन परिस्थितियों में उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड के अन्तर्गत सभी जिला इकाइयों का यह उत्तरदायित्व है कि ऐसे जरूरतमन्द परिवारों/व्यक्तियों को कोविड–19 बीमारी की रोकथाम तथा जीवन यापन हेतु यथा सम्भव सहायता उपलब्ध करायें । इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर मास्क बैंक बनाने का निर्णय पूर्व में ही लिया जा चुका है तथा सभी जिलों में इस बैंक को स्थापित करने की कार्यवाही गतिमान है । इसके अतिरिक्त निम्नांकित अन्य कार्यों हेतु जिला मुख्यायुक्तों का ध्यान आकर्षित करते हुये यह अपेक्षा की जाती है कि वे जिले में सभी जिममें सक्षम दानवीर तथा आमजन सम्मिलित हैं, का सहयोग लेते हुये प्रभावी तरीके से इन कार्यों को करेंगे ताकि जो संसाधन जिला स्काउट एवं गाइड द्वारा जुटाये जायेंगे वे जरूरतमन्द परिवारों/व्यक्तियों की यथा समय एवं यथा सम्भव सहायता हेतु प्रयोग किया जा सके ।

1. सोप तथा डिसइनफेक्टेन्ट बैंक (Soap and Disinfectant Bank) की स्थापना– कोविड–19 के कोरोना वायरस को नष्ट करने हेतु हाथों तथा वस्तुओं का सैनिटाइज होना अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिये जिला स्तर पर soap/disinfectant बैंक की स्थापना अनिवार्य है ताकि जरूरतमन्द परिवारों को यथा समय ये वस्तुएं उपलब्ध करायी जा सकें । लॉक डाउन खुलने के उपरान्त इन वस्तुओं की आवश्यकता और अधिक हो जायेगी । अतः इनकी बड़ी मात्रा में संग्रहण तथा वितरण की आवश्यकता होगी ।
2. ग्रेन बैंक (Grain Bank) की स्थापना– जैसा कि आप अवगत हैं कि शासन द्वारा यद्यपि सभी पात्र एवं जरूरतमन्द परिवारों को पर्याप्त मात्रा में राशन (गेहूँ तथा चावल) देने की व्यवस्था की गयी है । फिर भी कतिपय कारणों से कुछ परिवार इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं । साथ–साथ गेहूँ तथा चावल को खाने योग्य स्वादिष्ट एवं न्यूट्रिशियस (Nutritious) बनाने के लिये दाल तथा मसाले से सप्लीमेन्ट किया जाना आवश्यक है । अतः ग्रेन बैंक के अन्तर्गत

जिला इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मुख्य रूप से विभिन्न दालें तथा मसाले ग्रेन बैंक के अन्तर्गत इकट्ठा करें । यदि अन्न भी इकट्ठा होता है तो और अधिक उपयोगी रहेगा । इन वस्तुओं के जिला ग्रेन बैंक में उपलब्ध होने से जरूरतमन्द परिवारों को जीवन निर्वाह हेतु उपरोक्त वस्तुएं तत्काल तथा यथा समय प्रदान की जा सकेंगी ।

3. सैनिटरी पैड बैंक (Sanitary Pad Bank)–भारत वर्ष में एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं/बालिकाओं के पास विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं होते हैं । इससे एक ओर तो unhygienic परिस्थितियॉ उत्पन्न होती हैं तथा उनकी प्रतिरक्षण क्षमता भी प्रभावित होती है । अतः सैनिटरी पैड बैंक की स्थापना की उपयोगिता और अधिक हो जाती है । आपसे अपेक्षा है कि आप इस बैंक की स्थापना करने हेतु पूरा प्रयास करेंगे ताकि प्रत्येक समय जिला इकाईयों के पास पर्याप्त मात्रा में यह पैड उपलब्ध रहे जो जरूरतमन्द महिलाओं/बालिकाओं को समय–समय पर दिये जा सकें ।

4. टाइम बैंक (Time Bank)की स्थापना–प्रदेश में लगभग 20 प्रतिशत से अधिक सीनियर सिटीजन महिलाएं एवं पुरूष निवास करते हैं । काफी परिवारों में उनकी देखभाल के लिये कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं रहता है । इससे एक ओर तो उनकी फिजिकल देखभाल नहीं हो पाती तथा दूसरी तरफ कई तरह के मानसिक विकार उनको घेर लेते हैं । लॉक डाउन के अन्तर्गत ये समस्या और अधिक वृहद रूप में देखने को मिली है । भारत स्काउट और गाइड के अन्तर्गत जिला स्तर पर काफी बड़ी संख्या में रोवर/रेन्जर तथा स्काउट/गाइड उपलब्ध हैं जिनको इन वृद्ध परिवारों की देखभाल में लगाया जा सकता है । ऐसे परिवारों की देखभाल में जिस भी स्काउट/ गाइड को जितने समय के लिये लगाया जायेगा उतना समय उसके खाते में स्टोर हो जायेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर उतने घन्टे की सेवा वह इस बैंक के माध्यम से या तो स्वयं ले सकता है अथवा किसी को डोनेट कर सकता है । इसके लिये प्रत्येक स्काउट गाइड वालंटियर का एक एकाउन्ट नम्बर भी होगा एवं जितने समय की सेवा वह दूसरों के लिये निःशुल्क उपलब्ध करायेगा वह उसके एकाउन्ट में अर्जित होगा ।

5. कोविड वारियर (warrior) टीम की स्थापना–प्रत्येक जिले में भारत स्काउट और गाइड के 15 वर्ष से अधिक उम्र के स्काउट/गाइड तथा रोवर/रेंजर की एक 50 सदस्यीय टीम जिसमें 25 बालक तथा 25 बालिकाएं हों, को भी तैयार किया जाय ताकि वे किसी भी समय तथा किसी भी स्थिति से निबटने के लिये उपलब्ध रहें । इनकी ट्रेनिंग भी जिला मजिस्टेट से सम्पर्क कर मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से जिला स्तर पर करा ली जाय ताकि वे कोविड–19 बीमारी के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में ज्ञान अर्जित कर सकें तथा उनको विभिन्न dos एवं donts की जानकारी हो सके जिसका उपयोग वे बीमारी की रोकथाम के लिये कार्य करते समय कर सकें तथा अन्य लोगों को भी इस सम्बन्ध में जागरूक (अवेयर) कर सकें ।

उपरोक्त सभी बैंकों की स्थापना/कार्यों के लिये जिला स्तर पर मुख्यायुक्त या तो स्वयं नोडल अधिकारी का कार्य करेंगे अथवा उनके द्वारा किसी उपयुक्त एवं कम्पीटेन्ट व्यक्ति को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो उपरोक्त सभी कार्यों के लिये जिम्मेदार होंगे तथा समय–समय पर मुझसे सम्पर्क कर विभिन्न कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध अवगत करायेंगे एवं दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे । इस सम्बन्ध में

यह भी आवश्यक है कि सभी कार्यों का appropriate documentation किया जाय तथा रजिस्टर बनाये जायं ताकि वस्तुओं की आवक तथा व्यय का समुचित हिसाब रखा जा सके एवं समय पड़ने पर उसका आडिट भी किया जा सके । यहॉ यह भी उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि इस प्रकार के अभिलेखों का रख–रखाव विभिन्न शिकायतों पर न केवल अंकुश लगेगा वरन् कोई शिकायत होने की दशा में उसके निराकरण के लिये पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध होगा ।

मुझे आशा है कि सभी जिला मुख्यायुक्त अपने शत प्रतिशत प्रयास इस कार्य के लिये करेंगे एवं इन कठिन परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे ।

12/05/2020

(डा0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

प्रतिलिपिः–

सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड को इस निर्देश के साथ कि वे उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड के समस्त पदाधिकारियों तथा सहायक संगठन आयुक्तों (ASOCs) को भी उपलब्ध करा दें तथा उनसे अनुरोध कर लें कि वे भी इसमें अधिकाधिक योगदान करावें ।

12/05/2020

(डा0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त